न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2015

अपीलांट

1. नैनाराम पुत्र फतारामजी
2. पदमाराम पुत्र फतारामजी जातिगण मेघवाल निवासीगण बागोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मोडसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी बागोल तहसील देसूरी जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी तहसील देसूरी जिला पालीं।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.05.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 917 में आने जाने हेतु अपीलांटगण की खातेदारी आराजी 943/1, 930, 938, 939, 941 में से रास्ता प्रदान कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने पूर्वजो के समय से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 917 मौजा बागोल में आने जाने हेतु मौजा बागोल के खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1193, 918, 919 की माठ के सहारे–सहारे से होकर आते जाते रहे है। एवं उक्त रास्ता आज भी मौके पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिर्पोट में अपीलांटगण की भूमि के दक्षिण माठ के सहारे किसी प्रकार का रास्ता नहीं है एवं उक्त माठ के सहारे–सहारे अपीलांटगण के खसरा नंबर 937, 930 में पानी की नालिया, बेले वगैरा एवं रहवासीय मकान सडा बेरा बने हुए है एवं उक्त बेरे के पास मात्र पगडंडी है जिससे तीन मीटर का रास्ता किसी सूरत में नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये राजस्व न्यायालय कैम्प बागोल में दिनांक 12.06.2015 को पेश होना बताते हुए बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 917 में आने जाने हेतु अपीलांटगण की खातेदारी आराजी 943/1, 930, 938, 939, 941 में से रास्ता प्रदान कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 917 में आने जाने हेतु अपीलांटगण की खातेदारी आराजी 943/1, 930, 938, 939, 941 में से रास्ता प्रदान कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत अपीलांटगण की आराजी से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पीढीयो से उपयोग उपभोग करना बताया है साथ ही 10 दिन से अपीलांटगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध किया जाना अंकित किया गया है। जबकि उक्त धारा के अन्तर्गत नया रास्ता प्रदान करने का प्रावधान हैं। जबकि मौके पर पुराना व बंद रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार को है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति एफ. 5(21) रैव/ग्रुप–4(80) (34) दिनांक 04.09.1982 के प्रथम पैराग्राफ के अनुसार यदि तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र ईजमेन्ट राईट के संबध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पंचायत को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भिजवाया गया है और पंचायत को प्रार्थना पत्र. प्राप्ति के 45 दिन के अंदर उस पर निर्णय करना आवश्यक है। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन में निर्णय प्रदान नहीं करती है, तो पंचायत को कोई क्षेत्राधिकार उस मामले को निर्णय करने का नहीं होगा और पंचायत को ऐसे प्रार्थना पत्र को पुनः तहसीलदार को भिजवाना होगा, जो आवश्यक जांच कर ऐसे प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निर्णय करेगे। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रार्थना पत्र को तहसीलदार को नहीं पहुचाये, तो तहसीलदार को अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्र को पंचायत से मंगवाकर स्वंय निर्णय करे। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली